2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गोपालदान चारण बनाम लो.सू.अ.(उपखण्ड अधिकारी शेरगढ जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 157 / 2017	
01.11.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोपालदान चारण, पता गांव व पोस्ट रामगढ जिला जैसलमेर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.08.2017 में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत भाण्डू चारणान के सरपंच की शैक्षिक योग्यता की प्रतिलिपि, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (शेरगढ) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	